2.5.18 पत्रावली आम राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आधेडार 2018 के कैम्प सोनड़ी में पेश हुई। प्रार्थी सं 1 ने उपस्थित रहते हुए भी हस्ताक्षर करने से मना किया। विप्रार्थी सं 1 उप0। प्रार्थना पत्र में 2 व 3 के वकील उप0। उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण आदर्श सोनड़ी परवार क्षेत्र सोनड़ी के ख.नं. 167 गै.मु. रास्ता की नेखमबंदी करवाना चाहते है। उक्त प्रकरण में मजमे आम से जानकारी ली गई जिसमें जाहिर हुआ कि मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है जो आवागमन के आम लोगों के खुली है चूंकि रास्ते की नेखमबंदी नहीं की जा सकती है। रास्ते की नेखमबंदी करने से रास्ता आम लोगों के लिए बाधित हो सकता है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा को सीमा मान करने के निर्देश दिये गये। कुमात, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तथ्यों हीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन